मांगीलाल बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2023/348
प्रकरण संख्या 90 / 2023

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 90 / 2023
जीसीएमएस न0 2023 / 348

1. मुकेश चन्द्र पिता किशनलाल जाट निवासी रामपुरा निवासी रामपुरा तहसील निम्बाहेडा।
2. मांगीलाल पिता किशनलाल जाट निवासी रामपुरा निवासी रामपुरा तहसील निम्बाहेडा।
3. रामनारायण पिता किशनलाल जाट निवासी रामपुरा निवासी रामपुरा (आजमपुरा) तहसील निम्बाहेडा।
4. स्याणी बाई पत्नी किशनलाल जाट निवासी रामपुरा निवासी रामपुरा तहसील निम्बाहेडा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार निम्बाहेडा भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा

.......विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– प्रार्थीगण स्वयं

:: निर्णय ::

दिनांक 10.10.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश कर निवेदन किया कि वाके मौजा ग्राम आजमपुरा में जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता नम्बर78 में दर्ज खसरा नम्बर 132 रकबा 0.01 हैक्टैयर किस्म ट्युबवैल, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.60 है. स्थित है।

2. उक्त खसरा न को वर्तमान राजस्व नक्शे में जांच करने पर पाया गया कि नक्शे में खसरा नम्बर132 (किस्म ट्युबवेल) दर्ज नही है। तथा खसरा नम्बर 133 रकबा 0.60 हैक्टेयर का रकवा राजस्व नक्शे में कम कर दिया गया है। सेग्रीगेशन से पूर्व के नक्शे से जांच करने पर पाया गया कि सेग्रीगेशन से पूर्व नक्शे में खसरा नम्बर132 ट्यूबवैल अंकित है व खसरा नम्बर133 भी अलग से दर्ज है। खसरा न 133 में मध्य में एक डॉटेड लाईन अंकित थी किन्तु वक्त सेग्रीगेशन उक्त डॉटेड लाईन की पुख्ता लाईन मान कर खसरा नम्बर132 ट्यूबवैल को राजस्व नक्शे से हटाते हुए डॉटेड लाईन से दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर132 अंकित कर दिया गया जो कि गलत अंकित है। मौके पर जांच करने पर पाया गया कि खसरा नम्बर133 के दक्षिण में एक ट्यूबवैल लगी हुई है। गत सेटलमेन्ट की आराजी संख्या 86 रकबा 2.08 हैक्टेयर बीघा भूमि खातेदार रामनारायण, मांगीलाल, मुकेशचन्द पिता किशनलाल, मु० श्याणी बेवा किशनलाल [illegible] के नाम दर्ज रिकार्ड थी।नवीन सेटलमेंट में गत भू–प्रबन्ध के आराजी संख्या 86 रक[illegible] बीघा के नवीन भू–प्रबन्ध के आराजी संख्या 132 रकबा [illegible] 133 रकबा 0.60 हैक्टेयर बने। जो खातेदार श्री रामनारायण, मां[illegible], मुकेशचन्द पिता किशनलाल, मु० श्याणी बेवा किशनलाल [illegible] है। खस[illegible]र133 के दक्षिण में सलग्न सेग्रीगेशन से पूर्व के [illegible] नम्बर132 ट्यूबवैल [illegible]र्तमान राजस्व नक्शे में दर्ज कर खसरा नम्बर 133 को पूर्व के नक्शे अनुसार दर्ज किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:21:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए खसरा नम्बर 133 के दक्षिण मे सलंग्न सेग्रीगेशन से पूर्व के नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 132 टयुबवेल को वर्तमान राजस्व नक्शे में दर्ज कर खसरा नम्बर 133 को पूर्व के नक्शे अनुसार दर्ज किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई, जांच रिपोर्ट प्राप्त होनेपर शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट अनुसार खसरागत सेटलमेन्ट की आराजी संख्या 86 रकबा 2.08 हैक्टेयर बीघा भूमि खातेदार रामनारायण, मांगीलाल, मुकेशचन्द पिता किशनलाल, मु० श्याणी बेवा किशनलाल जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड थी। नवीन सेटलमेंट में गत भू–प्रबन्ध के आराजी संख्या 86 रकबा 2.08 बीघा के नवीन मू–प्रबन्ध के आराजी संख्या 132 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 133 रकबा 0.60 हैक्टेयर बने। जो खातेदार श्री रामनारायण, मांगीलाल, मुकेशचन्द पिता किशनलाल, मु० श्याणी बेवा किशनलाल जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है।नवीन नक्शा में आराजी संख्या 132 को बडा व आराजी संख्या 133 को छोटा दर्शाते हुए भू–प्रबन्ध के आराजी संख्या 86 के एक खेत के दो खेत दर्शा दिये. जो नक्शे में माप अनुसार अशुद्ध है। आराजी संख्या 132 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म ट्यूबवेल एवं आराजी संख्या 133 रकबा 0.60 हैक्टेयर दर्शाना था। अतः उपरोक्त आराजियात का प्रस्तावित नक्शानुसार शुद्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.***

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधि[illegible]56 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 13:21:46 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा [illegible] आजमपुरा की जमाबन्दी संवत् 2077–80 में खसरा नम्बर 133 के दक्षिण से [illegible]शन के नक्शे अनुसार ट्यूबवेल को खसरा नम्बर 132 प्रस्तावित राजस्व नक्शे दर्ज कर खसरा नम्बर 133 रकबा 0.60 हैक्टैयर भूमि को प्रस्तावित नक्शानुसार तरमीम आराजियात का प्रस्तावित नक्शानुसार शुद्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया है जो सही प्रमाणित होता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
निम्बाहेडा

मांगीलाल बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2023/348
प्रकरण संख्या 90 / 2023

–:आदेशः–

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है की मौजा आजमपुरा की जमाबन्दी संवत् 2077–80 में खसरा नम्बर 133 में दक्षिण से सेग्रिगेशन के नक्शे अनुसार ट्यूबवेल को खसरा नम्बर 132 प्रस्तावित राजस्व नक्शे दर्ज कर खसरा नम्बर 133 रकबा 0.60 हैक्टैयर को प्रस्तावित नक्शानुसार तरमीम शुद्धि के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

8. निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

(रमेश सीरवी पुनाडियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:21:46 IST
Reason: SelfAttested